Calling Attention Notice on Sagar Samrat', I made an incorrect statement. In reply to Shri Satpal Kapur as to the cost of the new electrical equipments (motors and generators) of 'Sagar Samrat', I said that the cost should be not more than Rs. two crores. But the correct position is that the cost of this is about $ 500,000 which in Indian currency would be of the order of Rs. 37.50 lakhs only this works out to less than 3 per cent of the cost of the Sagar Samrat. The ONGC had arrived at this figure on the basis of quotations received from foreign manufacturers of such equipments."

**श्री मधु लिमये** (बांका) : अध्यक्ष, महोदय मुझे इसी के सम्बन्ध में एक वाक्य कहना है । इसी से सम्बन्धित एक दूसरी गलत बयानी भी है---कुछ महीने पहले मैंने सवाल किया था- इन्होंने कहा था कि " सी वेड-सर्वे में कोई खराबी नहीं है" इस को भी सुधार देते तो अच्छा था ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह भी लगे हाथों सुधार देते ।

**श्री सतपाल कपूर** (पटियाला): इतनी बड़ी गल्ती सरकार मानती है तो क्या इस मे एन्क्वायरी की जरूरत नहीं है ?

---

## SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1973-74

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI L. N. MISHRA): I beg to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1973-74.



**12.33 hrs.**

## MATTER UNDER RULE 377

### ALLEGED VIOLATION OF THE CONSTITUTION BY U.P. GOVERNOR FOR NOT SUMMONING THE LEGISLATIVE ASSEMBLY.

**श्री मधु लिमये** (बांका) : अध्यक्ष, महोदय, आज मैं सदन के सामने एक महत्व पूर्ण संवैधानिक सवाल उठाना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में 13 जून, 1973 को राष्ट्रपति शासन जारी किया गया था और आन्ध्र प्रदेश में 10 जनवरी, 1973 को । उत्तर प्रदेश में असेम्बली का आखरी सत्र-मेरी जानकारी के अनुसार 15 मई, 1973 को हुआ था । राष्ट्रपति शासन के काल में न आन्ध्र प्रदेश में और न उत्तर प्रदेश में विधान सभा को बरखास्त किया गया था, विधान सभा स्थगित थी , लेकिन जीवित थी, सिर्फ आर्टिकल 174 (1) का तहत स्थगित रखी गई थी । जहां तक धारा 174 का सवाल है, ये मेन्डेटरी धारा है, इस के ऊपर अमल करना गवर्नर का संवैधानिक कर्तव्य है, क्योंकि संविधान की 156 धारा के तहत वह शपथ लेता है कि संविधान की रक्षा करूंगा ।

अब संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व गवर्नर पर दिया गया है- इस दायित्व को देखते हुए क्या उन्हें बहुगुणा जी को आदेश नहीं देना चाहिये था कि अब आप मुख्य मंत्री बने हैं, विधान सभा को आखरी बैठक 15 मई को हुई थी, 6 महीने से अधिक महीने बीत गये हैं, असैम्बली बरखास्त नहीं थी, इस लिये तत्काल विधान सभा की बैठक बुलानी चाहिये । आन्ध्र प्रदेश के बारे में तो मैं मान सकता हूं-चूंकि राष्ट्रपति शासन ता० 10 को ही खत्म हुआ है, मंत्री मंडल भी उसी दिन बना है तथा असेम्बली की बैठक बुलाने के लिये 7-8 दिन का नोटिस चाहिये इस लिये आन्ध्र के नये मुख्य मंत्री 7-8 दिन

[श्री मधु लिमये]

के अन्दर विधान सभा की बैठक बुलायेंगे तो आप कह सकते हैं कि 174 धारा का पालन हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बहुगुणा इतने दिन होने के बाद भी विधान सभा की बैठक बुलाने की बात तक नहीं करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता—क्या उन को यह डर है कि कांग्रेस पार्टी का जो बहुमत है, वह उन का समर्थन नहीं करेगा और उन की सरकार फेल हो जायेगी ? क्या वजह है कि विधान सभा की बैठक नहीं बुलाई जा रही है ?

इस सम्बन्ध में एक बात मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं अभी मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेन्ट लाया हूं—आप को याद होगा—

SHRI JAGDISH CHANDRA DIXIT (Sitapur): On a point of Order, Sir. Can this question be raised in this House?

**श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) :** उत्तर प्रदेश विधान सभा में कांग्रेस का बहुमत है, अभी पं० कमलापति त्रिपाठी जी को राज्य सभा के चुनाव में अधिक से अधिक वोट मिले हैं।

**श्री मधु लिमये :** कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने अजय मुखर्जी की सरकार को जो बरखास्त किया गया था, उस का मामला आया था, उस में सारे तथ्य अदालत के सामने आये। गवर्नर चाहते थे कि 18 नवम्बर को विधान सभा की बैठक बुलाई जाये। उन्होंने यह भी कहा था कि 30 नवम्बर तक भी बुलायेंगे तो मुझे एतराज नहीं है, अजय मुखर्जी की सरकार को बहुमत है या नहीं—उस का फैसला विधान सभा में होना चाहिए। अजय मुखर्जी की सरकार ने यह रूख अपनाया कि धारा 174 में 6 महीने की मियाद है, इस लिए 6 महीने के अन्दर अगर विभान सभा की बैठक बुलाते हैं तो हम संविधान का और अपनी शपथ का पालन करते हैं, इस में गवर्नर को दखल देने की जरुरत नहीं है। साधारण तोर पर धारा 174 के तहत गवर्नर अपने से विधान सभा की बैठक नहीं बुलाता है, वह मुख्य मंत्री की सलाह पर, कैबिनेट की सलाह पर बुलाता है। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि 18 दिसम्बर को बैठक बुलायेंगे यानी केवल 3 सप्ताह का विलंम्ब हो रहा था हालांकि इससे संविधान की धारा 174 नहीं टूट रही थी, 6 महीने की अवधि खत्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन को बरखास्त कर दिया गया था। यहां ये अभी तक बैठक नहीं बुला रहे हैं। एक सवाल घुमा फिरा कर शायद कानून मंत्री आज उठायेंगे कि राष्ट्रपति के शासन में, जो विधान सभा स्थगित थी उस काल को गिनना नहीं चाहिए लेकिन धारा 356 का आप अध्ययन कीजिए, धारा 174 का आप अध्ययन कीजिए, उस में ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें एक शब्द भी नहीं है कि राष्ट्रपति शासन में जो विधान सभा स्थगित थी उस काल की गणना नहीं करनी चाहिए। मेरी राय है कि धारा 356 के अन्तर्गत विधान सभा को स्थगित रखने का इन को अधिकार नहीं है लेकिन जबर्दस्ती उन्होंने इंसिडैंटल और कांसिक्वैशियल मैजर्स के नाम पर विधान सभा को स्थगित रखने का अधिकार दो तीन साल से हाथ में लेना शुरू कर दिया है। वास्तव में विधान सभा का भंग ही धारा 356 में होना चाहिए, इस लिए अगर इन्होंने धारा 356 का दुरुपयोग किया है तो इसका खुलासा होना चाहिए। 6 महीने की जो अवधि है वह हो चुकी है। 13 जून तारीख को राष्ट्रपति का शासन हुआ था और आज दिसम्बर की 11 तारीख है, उसके भी 6 महीने पूरे हो रहे हैं। विधान सभा की बैठक 15 मई को हुई थी और उसके बाद 6 महीने से अधिक की अवधि हुई है।

इस लिए मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रपति संविधान का पालन करें। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के प्लेज़र में गवर्नर गवर्नर रहता है और चूंकि गवर्नर ने अपनी

शपथ का उल्लंघन किया है इसलिए मेरी केन्द्र से और राष्ट्रपति जी से प्रार्थना है कि वे तत्काल गवर्नर को हटावें, नये गवर्नर की नियुक्ति करें और उसके द्वारा बहुगुणा को तत्काल डिसमिस करने का काम करें तथा कोई नया मुख्य मंत्री आये जो संविधान का पालन और संविधान की रक्षा करे ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): One point with regard to this. It is a point of constitutional importance.

To my mind, the demand for the convening of the Assembly now which does not seem to exist, is not a very proper demand. The Assembly, to my mind, ceased to exist after the 15th November because the last session of the Assembly was held on the 15th of May and since no session of the Assembly was held by the 15th of November, the Assembly must be deemed to have gone out of existence. What is the correct constitutional position?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): I have not got notices of this. I am speaking on the first impression after hearing the hon. Members. Part of the arguments was anticipated by Mr. Madhu Limaye also.

The whole question is that under Art 356 when President's rule is promulgated, the President has been given power to suspend certain provisions of the Constitution as he would deem fit. I will make an elaborate statement tomorrow if you so direct me. But even this Art 174 itself, as far as I can remember, was suspended. So, the question of calculating the period does not arise.

MR. SPEAKER: Let him have his time.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: My point is completely different. I take the stand that the Assembly now does not exist. What have you to say about it?

MR. SPEAKER: He will make a statement later on.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): The statement should come before U.P. elections.

MR. SPEAKER: Now, we go to the next item. Mr. Banerjee to continue his speech.

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): The Speaker of the Meghalaya Assembly has referred a second privilege motion to the Privileges Committee.

MR. SPEAKER: I know it and I am writing to the Speaker.

SHRI P. M. MEHTA: Kindly take up the matter without any loss of time.

MR. SPEAKER: I am already moving in the matter.

---

**12.44 hrs.**

## STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF CENTRAL EXCISES AND SALT (AMENDMENT) ORDINANCE AND CENTRAL EXCISES AND SALT (SECOND AMENDMENT) BILL—*contd.*

MR. SPEAKER: Mr. Banerjee to continue his speech.

SHRI S. M. BANERJEE: (Kanpur): In reply to the debate, the hon.